भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1488

11 फरवरी, 2020 को उत्तरार्थ

विषय: पीएम किसान योजना के अंतर्गत किसान

1488. श्री संजय सेठः

श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी:

श्री कुरूवा गोरांतला माधव:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आंध्र प्रदेश और झारखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लिए पात्र किसानों की जिले-वार संख्या कितनी है;

(ख) आज की तिथि के अनुसार योजना के तहत लाभान्वित किए गए किसानों का ब्यौरा क्या है और उनको प्रदान की गई कुल राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि योजना के लिए पात्र कई किसान अभी भी संबंधित राज्य सरकारों की ओर से चूक के कारण उस योजना के लाभ से वंचित हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे किसानों को योजना का लाभ प्रदान करने के लिए नीतियों और योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) कृषि संगणना 2015-16 के आंकड़ों के आधार पर भू-जोतों की अनुमानित संख्या आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में क्रमश: 83,90,136 तथा 25,55,726 है। पीएम-किसान स्कीम से जुड़ने के लिए किसानों की योग्यता स्कीम की परिचालन दिशा-निर्देशों के आधार पर संबंधित राज्य/केन्द्र शासित सरकारों द्वारा निर्धारित की जाती है। जिलावार सूचना अनुबंध-I पर है।

(ख) दिनांक 06-02-2020 तक स्कीम के अंतर्गत 8,44,72,629 किसान लाभान्वित हुए हैं तथा उन्हें विभिन्न किस्तों में 50,522.2 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया।

(ग) एवं (घ) इस स्कीम के लिए किसानों का पंजीकरण एवं उन्हें लाभों का किस्तवार हस्तांतरण निरंतर एवं जारी प्रक्रिया है। चिन्हित योग्य लाभार्थियों को लाभों का हस्तांतरण तभी किया जाता है जब संबंधित राज्य/केन्द्र शासित सरकारों द्वारा उनके सही एवं वैध आंकड़े पीएम-किसान वेबपोर्टल www.pmkisan.gov.in पर अपलोड किए जाते हैं।

राज्य/केन्द्र शासित सरकारों द्वारा लाभार्थियों के आंकड़े बैंकों सहित विभिन्न संबंधित एजेंसियों द्वारा बहु स्तरीय सत्यापन एवं वैधीकरण के बाद अपलोड किए जाते हैं जिसमें राज्य/केन्द्र राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न स्तर पर गलत आंकड़ों को हटाना एवं सही आंकड़े को पुन: अपलोड करना शामिल है।

इसके बाद ही लाभार्थियों के बैंक खाते में राशि सफलतापूर्वक हस्तांतरित कर दी जाती है। ये पूरी प्रक्रिया प्रत्येक किस्त के हस्तांतरण पर दौहराई जाती है।

योग्य किसान परिवारों को लाभों का भुगतान नहीं होने के कारणों में भू-रिकॉर्ड एवं आधार कार्ड में नाम गलत होना, गलत खाता संख्या, गलत आईएफएससी आदि जैसे कारणों से पीएफएमएस स्तर पर खाता वैधीकरण सही न होना आदि शामिल हैं। इन किसान परिवारों को लाभ जारी करने के लिए वे आंकड़े जिनमें संशोधन की आवश्यकता है, को राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए संशोधन हेतु खोला जाता है। इसके अतिरिक्त लाभार्थी द्वारा आधार में संशोधन की सुविधा पीएम-किसान पोर्टल पर प्रदान की जाती है एवं इस उद्देश्य के लिए सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) को भी अधिकार दिया गया है।

केंद्र सरकार की सलाह पर, राज्यों ने नए पंजीकरणों और पहले से पंजीकृत डेटा के सुधार के साथ लाभार्थियों के डेटा का शीघ्र प्रमाणीकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रचार/जागरूकता शिविर आयोजित किए हैं।

लो.स.अता.प्र.सं.1488

अनुबंध –I

आंध्र प्रदेश में जिला-वार भू-जोतों की अनुमानित संख्या (कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार)	
जिला का नाम	**किसानों की संख्या**
नेल्लोर	544,860
कुरनूल	707,346
चित्तूर	700,607
पश्चिम गोदावरी	605,293
पूर्व गोदावारी	772,317
विशाखापत्तनम	544,423
कडपा	475,104
प्रकासम	704,320
कृष्णा	619,686
विजयनगरम	495,069
गुंटूर	830,507
श्रीकाकुलम	651,077
अनन्तपुर	739,526
कुल	**8,390,136**

लो.स.अता.प्र.सं.1488

अनुबंध –I (जारी..)

झारखंड में जिला-वार भू-जोतों की अनुमानित संख्या (कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार)	
जिला का नाम	**किसानों की संख्या**
सिमडेगा	55,346
गिरिडीह	256,003
साहेबगंज	92,699
सराइकेला-खरसावा	137,944
डाल्टनगंज (पलामू)	292,273
गरवाह	188,757
पूर्व सिंहभूम (पुर्वा सिंहभूम)	166,552
गोड्डा	70,179
चाईबासा (पश्चिम सिंहभूम)	116,390
पाकुर	126,034
गुमला	127,150
हजारीबाग	132,861
धनबाद	48,919
रांची	161,686
चतरा	115,108
देवघर	85,967
लातेहार	64,294
खूंटी	53,282
रामगढ़	23,636
लोहरदागा	37,137
दुमका	84,545
बोकारो	61,320
जामताड़ा	44,540
कोडरमा	13,103
कुल	**2,555,726**

****